क्रम संख्या–60

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 105 / XXXVI(3) / 2015 / 30(1) / 2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनि

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2015)

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानस निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, अग्रेत्तर सशोधन करने के लिये :–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तरा कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनिय (संशोधन) अधिनियम 2015" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 17 की उपधारा (1) खण्ड (च) का प्रतिस्थापन

2– "उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पाद मण्ड़ी (विकास ए विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष, 2011) जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (च) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

(च) "श्रेणी "क" की विशिष्ट मण्डियों में मण्डी क्षेत्र के उत्पादको के दस प्रतिनिधि व अन्य मण्डियों में मण्डी क्षेत्र. के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि"

धारा 48 (कक) का अन्तःस्थापन

3– मूल अधिनियम, की धारा 48 के खण्ड (क) के पश्चात् एक नया खण्ड (कक) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा :–

"(कक) उपाध्यक्ष–राज्य सरकार विपणन बोर्ड हेतु नामित सदस्यों में से, एक को बोर्ड में उपाध्यक्ष नामित कर सकेगी।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 105/XXXVI(3)/2015/30(1)/2015
Dated Dehradun, March 31, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) (Amendment) Bill, 2015"** (Adhiniyam Sankhya 14 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2015.

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) (Amendment) Act, 2015

(Uttarakhand Act No. 14 of 2015)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2011 (Act No. 9 of 2011) Enacted by the Legislative Assembly of the Uttarakhand in the Sixty-Sixth Year of the Republic of India,

Short title and Commencement 1– (1) This Act may be called the "Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) (Amendment) Act, 2015".

(2) It shall come into force at once.

Substitution of clause (f) of Sub-Section (1) of Section 17 2– Clause (f) of sub-section (1) of section 17 of the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2011 (Act no. 9 of 2011), hereinafter referred to as principal Act, shall be substituted as follows, namely-

"(f) Ten representatives of producers of Mandi Area in the specified Mandis of class "A" and nine representatives of producers of Mandi area" from other Mandis.

(aa) 3– A new clause (aa) after clause (a) of section 48 of the Principle Act, shall be inserted as follows, namely:-

"(aa) Vice-Chairman-the State Government may nominate a Vice-Chairman in the Marketing Board from amongst the members nominated in the board."

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

204–2015–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।